वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा कोल माईन्स सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड़, नागपुर द्वारा रायगढ़ वनमंडल के गारे पेलमा सेक्टर II खुली कोयला खदान उत्खनन परियोजना हेतु रकबा 214.869 हे. वन एवं राजस्व वनभूमि के खुली कोयला खदान से उत्खनन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देश अनुसार निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है:–

i) खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु गैस सप्लाई की जाये ताकि जलाऊ हेतु वनों पर दबाव न पड़े।

ii) इस खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े।

iii) सेफ्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फैसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके।

iv) वन्य प्राणी हाथी के प्रबंधन हेतु उपयुक्त वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार की जाए जिसके प्रावधानो का क्रियान्वयन आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाए।

v) आवेदक संस्थान वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति के शर्तो के पालन की मानीटरिंग के लिये वन विभाग को एक नवीन वाहन उपलब्ध करायेगा।

दिनांकः 18/10/2021
स्थानः नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर– 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–245/ 2593 रायपुर, दिनांक 20/10/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of forest land for non-purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Gare Palma Sector -II Coal Block has been allotted to Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) Coal block is located in the Mand Raigarh coaldfield of Raigarh district, Chhattisgarh area – 214.869 ha. - regarding**

पंजीयन क्रमांकः– **FP/CG/MIN/20495/2016**

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 2835 दिनांक 11.10.2021

– 0 –

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा कोल माईन्स सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड़, नागपुर का गारे पेलमा सेक्टर II के 214.869 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु वन एवं राजस्व वनभूमि कोयला उत्खनन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1 से 14) – आवेदनकर्ता मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा कोल माईन्स सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड़, नागपुर द्वारा रायगढ़ वनमंडल के गारे पेलमा सेक्टर **II** खुली कोयला खदान उत्खनन परियोजना हेतु रकबा 214.869 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म **A** भाग 1 तथा आफलाईन विवरण देते हुए मांग रखी गई है। आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

संरक्षित वन	आरक्षित वन	राजस्व वन भूमि	योग रकबा
99.735 हे.	–	115.134 हे.	214.869 हे.

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 15 से 30) – वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/MIN/20495/2016** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 28.02.2018 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 58,000/– जमा कराये गये हैं।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 31–36) – व्यपवर्तन हेतु आवेदित 214.869 हे. वन भूमि का विवरण दर्शित है जो आवेदक संस्थान तथा वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 4. गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 37 से 38) – गैर वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 5. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 39 से 40) – 214.869 हे. आ रही है जिसे सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट 1:50000 स्केल पर दिखाया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 6. वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 41 से 60) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र –4 में (प्रस्ताव पृष्ठ 61 से 70) – प्रपत्र– 4 में परियोजना की कुल लागत रू. 300 लाख करोड़ है। वनमंडलाधिकारी रायगढ़ ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया गया है कि दूसरे सभी विकल्पो का परीक्षण कर लिया गया है और आवेदित वन भूमि न्यूनतम है। फ्लौरा एवं फौना की सूची दी गई है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 71 से 83) – प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 84 से 85) – आवेदित वन क्षेत्र के एवज में समतुल्य निजी भूमि ग्राम चक्रधरपुर, नटवरपुर, धुमाबहाल में 214.869 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 86 से 87) – प्रस्तावित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, इस आशय का वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 88 से 94) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J – 11015 / 72 / 2016 –IA-II (M) दिनांक 06.08.2016 से गारे पेलमा सेक्टर II के लिए जारी किया गया है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 99 से 99) – आवेदित क्षेत्र में 3684 नग विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट / बेलिफिट ऐनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 100 से 114) – कास्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है। कास्ट बेनिफिट रेसियो 1:48.1 है।

बि.क्र. 14. चयनित गैर वनक्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तातंरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 115 से 547) – गैर वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 15. गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 548 से 551) – प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु निजी भूमि में प्रस्तावित होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 552 से 593) – स्थल विशेष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रायगढ़ वन मंडल के ग्राम चक्रधरपुर के निजी भूमि 119.455 हे., ग्राम नटवरपुर में 95.483 हे. एवं ग्राम धुमाबहाल में 4.248 हे. कुल रकबा 214.938 हे. प्रस्तावित है। स्थलवार 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है जिसमें वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वार जारी किया गया वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी लगा हुआ है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 594 से 599) – एकजाई वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। यह प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल द्वारा जारी किये गये है। इसके अलावा प्रत्येक परियोजना में वन मंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सम्मिलित किया गया है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लघंन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 600–601) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया गया है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लघंन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 602 से 603) – लागू नहीं।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 604 से 605)– लागू नहीं।

बि.क्र. 21. वैकल्पित वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 606 से 607) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कोयला खनन कार्य हेतु रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. वन भूमि प्रभावित हो रहा है उक्त प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण व्यपवर्तित वन भूमि के समतुल्य निजी भूमि ग्राम चक्रधरपुर, नटवरपुर धुमाबहाल में प्रस्तावित है। अतः गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 608, 609 (ए) से 675) – रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत गारे पेलमा, सेक्टर–2 कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल द्वारा अनुमोदित कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान प्रस्ताव में तैयार कर संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 676 से 728) – रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत गारे पेलमा, सेक्टर–2 कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल द्वारा अनुमोदित रिक्लेमेशन प्लान प्रस्ताव में तैयार कर संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान प्टड नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 729 से 731)–भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नागपुर के पत्र क्रमांक/ 34011 /16/2016 -CAMP दिनांक 12.08.2016 से अनुमोदित माईनिग प्लान संलग्न हैं ।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 732 से 749) – आयुक्त बिलासपुर के क्रमांक/ 365/ राजस्व शाखा/ 2020 दिनांक 04.02.2020 के द्वारा पुर्नवास कार्यआयोजना का अनुमोदन किया गया है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित(प्रपत्र I से IV तक)(प्रस्ताव पृष्ठ 750 से 760) – वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2021 तथा इसके आधार पर भरा गया भाग–2 संलग्न है। वनो का घनत्व 0.4 से 0.5 बताया गया है। मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर द्वारा वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन के ऊपर स्वयं के स्थल निरीक्षण दिनांक 11.10.2021 के उपरांत वन मंडलाधिकारी रायगढ़ के सुझावों से सहमत होते हुए प्रस्तावित व्यपवर्तन क्षेत्र के 10 कि.मी. परिधि अंतर्गत तेंदुआ, भालू तथा अन्य वन्यप्राणियों का विचरण होता है। अतः उक्त क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संवर्धन हेतु वन्य प्राणी योजना के क्रियान्वयन एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र में जल संवर्धन कार्य के क्रियान्वयन के शर्त पर प्रस्ताव अनुशंसित की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण –पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 761 से 762) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नही है वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 763 से 793) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के समीप स्थित ग्राम पंचायत, लिबरा, कंजेमुरा, पाता, गारे, ढोलनारा, साररामाल, सराईटोला, गुड़ागांव, झिकाबहाल एवं भालुमुड़ा ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 794 से 795) – प्रस्ताव में जिले की कुल वनभूमि 324301.500 हे. का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 30. –1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 796 से 806) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्वीकृत प्रकरणों में कुल 3758.555 हे. वन भूमि प्रभावित है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 31. –1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 807 से 809) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि 2262.348 हे. दर्शित है।

बि.क्र. 32 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उधान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी प्रस्ताव पृष्ठ 810 से 811) – वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल के प्रस्ताव में संलग्न प्रतिवेदन अनुसार महाराष्ट स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि. (महाजेनको) द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लाक में

कोयला खनन कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. के प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि. मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्या, वन्यप्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि. मी. के परिधि में हाथियों का आवागमन होता रहा है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में प्रस्ताव पृष्ठ 812 से 814) – 15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन कर मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 815 से 834) – महाराष्ट स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि. (महाजेनको) द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. कलेक्टर जिला रायगढ़ के पत्र क्रमांक/ 1611/स.अ.भू.अ./ 2019 दिनांक 02.12.2019 से वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 835 से 854) – प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि रकबा 115.134 हे. के लिए कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक/ 1611/स.अ.भू.अ./ 2019 दिनांक 02.12.2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है ।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 855 से 857) – आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act,1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA : Remittances of precede 2 nd stage Clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 858 से 859)– आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on soil productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 860–952) – प्रश्नाधीन भूमि की कुल रकबा 214.869 हे. वन भूमि की मिट्टी, चिकनी, दोमट एवं बलूई है, जिसमें ह्यूमस लगभग सामान्य है, तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है इसलिये मृदा, वृक्षों / वनस्पतियों के लिये उपयुक्त है एवं Soil productivity प्रस्ताव संलग्न है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 953 से 954) – महाराष्ट स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि. (महाजेनको) द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. में किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार की खनन कार्य प्रारंभ नही किया गया है। व्यपवर्तन के पश्चात ही प्रस्तावित भूमि पर खनन कार्य किया जायेगा। वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 40. Division of large area (more then 500 ha)of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation)Act 1980 Stipulation of additipna condition

(The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (प्रस्ताव पृष्ठ 955—956) — आवेदित क्षेत्र 500.00 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नही है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है ।

बि.क्र. 41. पंजयीन कमांक (957 से 963, — चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक — 2 अनुसार दर्शित है।

बि.क्र. 42. वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ —964 से 971) — प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर के आदेश क्रमांक/ व.प्रा./ प्रबंध—494/ 12 दिनांक 20.01.2021 से 3 करोड़ 58 लाख का अनुमोदित वन्यप्राणी योजना तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

बि.क्र. 43. विधुत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ —972—973)— प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नही है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 974) —

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों / दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में **www.parivesh.nic.in** पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा विषयांकित प्रकरण की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग—4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत प्रकरण स्वीकृति हेतु 2 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः—

1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्तावित क्षेत्र का रिर्पोट 2 प्रतियों में मय सी.डी.
3. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 सेट में मय सी.डी.
4. टाईम लाईन
5. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग—4
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा अनुमोदित वन्यप्राणी योजना—2 प्रतियों में
7. माईनिंग प्लान 2 प्रति में
8. व्यवस्थापन प्लान 2 सेट में

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू — प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–245/2594 रायपुर, दिनांक 20/10/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर।
2. **वन मंडलाधिकारी**, रायग्ढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
3. Executive Engineer (Addle) (Coal), महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा कोल माईन्स सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड़, नागपुर 440013

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़